न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 84 / 2017 / अपील

भवानी सिंह पुत्र श्री कान सिंह जाति जाट निवासी पचंलगी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

1. विजयपाल कुड़ी पुत्र श्री नाथूराम जाति जाट निवासी करड़का जिला सीकर
2. बालचन्द लाम्बा पुत्र श्री जमनलाल जाट जाति जाट निवासी लाम्बा की ढाणी, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर,
3. बाबूलाल पुत्र मंगलाराम सैनी जाति माली निवासी कावंट तहसील खण्डेला जिला सीकर,
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय खण्डेला जिला सीकर राजस्थान।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 1363 दिनांक 04.07.2016 द्वारा तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर

वकील अपीलांट श्री महेश कुमार पटेल
वकील रेस्पोडेंट श्री श्याम पटेल

निर्णय दिनांकः—25.07.2018

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट व रेस्पोडेन्टस संख्या 01 लगायत 03 की संयुक्त कब्जे, काश्त की भूमियां वाकै ग्राम कावंट तहसील खण्डेला जिला सीकर के खसरा संख्या 2184, 2185, 2186 कुल किता 03 कुल रकबा 1.35 हैक्टर अवस्थित है। उक्त भूमियां का सहमति से बंटवारा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 ने कर लिया और उसी के अनुसार काबिज काश्त है। उक्त सहमति से बंटवारा के लिये तहसीलदार खण्डेला को आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर सहमति से बंटवारा कर तहसीलदार खण्डेला ने नामान्तकरण संख्या 1363 दिनांक 04.07.2016 को स्वीकृत किया। उक्त सहमति बंटवारा सहवन से गलत इन्द्राज हो गया। पक्षकारान के अनुपात के अनुसार रास्ते पर लम्बाई मे भूमिंया नही दर्ज की गयी। मौके पर राजस्व रिकार्ड में अलग—अलग भूमियां दर्ज हो गयी। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस 1 ता 3 के मध्य सहमति से बंटवारा भूमियों के अनुपात के अनुसार रास्ते पर भूमियां आना तय हुआ था। रास्ते पर भूमि की लम्बाई 190 मीटर है। खातेदारी की हिसाब से अपीलान्ट को रास्ते पर 71.25 मीटर भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 विजयपाल को रास्ते पर 71.25 मीटर भूमि तथा रेस्पोडेन्ट 2 व 3 की संयुक्त रूप से 47.5 मीटर भूमि सहमति बंटवारा के अनुसार तय कर बंटवारा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से तस्दीक करवाना चाहा। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 द्वारा सहमति बंटवारा नामान्तकरण तस्दीक किया गया उसमें भूमियां रास्ते पर खातेदारी भूमि के अनुपात के अनुसार नहीं आयी। जबकि मौके पर नजरी नक्शे में दर्शित हक हिस्से के अनुसार काबिज काश्त है। सहवन से गलत सहमति बंटवारा तस्दीक हो जाने से उक्त सहमति बंटवारा का उद्देश्य ही समाप्त हो गया है, राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पक्षकारों में विवाद की स्थिति बढ़ गई है, जबकि वर्तमान में आपस में आज भी सहमति बंटवारा हेतु पक्षकार सहमत है। उक्त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नामान्तकरण में संशोधन करने हेतु तहसीलदार खण्डेला से अपीलान्ट ने निवेदन किया तो तहसीलदार ने यह कहते हुये संशोधन करने से इंकार कर दिया एवं कहा कि स्वयं के आदेश मे परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खण्डेला द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 1363 दिनांक 04.07.2016 वाके ग्राम कांवट निरस्त फरमाया जाकर पक्षकारान की सहमति के अनुसार बंटवारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर उसी के अनुसार नक्शें में तरमीम कर नामान्तकरण तस्दीक किये जाने के आदेश करने की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष को सुना गया। अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकार्ड पत्रावली में पक्षकारान के मध्य हुये बंटवारानामा व चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण का अवलोकन करने पर उसमें किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है अपितु बंटवारानामा के अनुसार नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। इस प्रकार तहसीलदार खण्डेला द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 1363 दिनांक 04.07.2016 में किसी प्रकार की दखलंदाजी की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट सारहीन व आधारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/7/18

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official